



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63044

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10385 वर्ष 2026

आकाश पांडे

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: राज कुमार प्रजापति

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 52

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार प्रजापति और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री सतेंद्र तिवारी की दलीलें सुनीं।

2. इससे पहले, आवेदक की जमानत याचिका, आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 485/2024 (आकाश पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), पर इस न्यायालय ने दिनांक 19.02.2024 के आदेश द्वारा निर्णय दिया था, जिसमें आवेदक को व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती पेश करने पर, प्रत्येक की राशि न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया गया था:-

“(i). आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii). आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii). आवेदक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो और/या आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा।

(iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या संदेह है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(vi) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(vii) यदि आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, तो वह संबंधित न्यायालय को अपने नए आवासीय पते की लिखित सूचना देगा।

(viii) उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(ix). यदि आवेदक रिहा होने के बाद संबंधित न्यायालय में 3,56,660/- रुपये की राशि किश्तों में जमा करता है, अर्थात् उपर्युक्त राशि में से 56,660/- रुपये रिहाई के एक महीने के भीतर जमा किए जाएं और शेष राशि उसके बाद छह महीनों के भीतर तीन समान आसान किश्तों में जमा की जाए, तो आवेदक को संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यदि आवेदक उपरोक्त निर्देशानुसार संबंधित न्यायालय में किसी भी राशि या किश्त को जमा करने में चूक करता है, तो यह आदेश स्वतः ही रद्द/निरस्त हो जाएगा और आवेदक को तत्काल हिरासत में ले लिया जाएगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, उपरोक्त जमानत आदेश के बाद, आवेदक को 08.05.2024 को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद, उसने 15.06.2024 को 56,660 रुपये, 07.09.2024 को 90,000 रुपये और 08.09.2024 को 10,000 रुपये जमा किए, कुल मिलाकर 1,56,660 रुपये। हालांकि, वह शेष राशि का इंतजाम नहीं कर सका और कुछ कारणों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। उसने बाद में अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए एक आवेदन दिया, लेकिन उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने 1,56,660/- रुपये की राशि जमा करके अपनी सत्यनिष्ठा प्रदर्शित की है और हलफनामे में मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित न होने के कारणों का स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को राष्ट्रीय वज्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और परिवार से मिलने घर लौटने पर उसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शेष राशि की व्यवस्था करने में सक्षम होने के लिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 19.02.2024 के आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, आवेदक को जेल से रिहा होने पर 3,56,660/- रुपये जमा करने थे, जिसमें से 56,660/- रुपये एक महीने के भीतर जमा करने थे, और शेष राशि तीन समान और आसान किस्तों में उसके बाद तीन महीनों के भीतर जमा करनी थी।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आदेश पत्र प्रस्तुत करते हुए, विद्वान ए.जी.ए. ने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता कई बार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है और उसने अपनी उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दिया है। 21.12.2024 को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 19.02.2024 के जमानत आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में 3,56,660/- रुपये जमा नहीं किए थे, और यह कि, आज तक, उसने केवल 1,56,660/- रुपये जमा किए हैं। आगे निवेदन किया गया है कि, 19.02.2024 के आदेश में निहित शर्तों के उल्लंघन के मद्देनजर, जिसमें यह प्रावधान था कि किसी भी राशि के डिफॉल्ट की स्थिति में जमानत आदेश वापस ले लिया जाएगा/रद्द कर दिया जाएगा और आवेदक को हिरासत में ले लिया जाएगा, अवर न्यायालय ने 21.12.2024 का आदेश पारित किया। उक्त आदेश द्वारा, अतिरिक्त सिविल जज (एस.डी.) प्रथम/ ए.सी.जे.एम., गोरखपुर ने आवेदक को 18.01.2025 को उपस्थित होने का निर्देश दिया और तदनुसार वारंट जारी किए। उपरोक्त के बावजूद, आवेदक कई बार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और परिणामस्वरूप, 07.11.2025 को गैर-जमानती वारंट जारी करने के विरुद्ध दायर आवेदन भी खारिज कर दिया गया।

7. दिनांक 19.02.2024 के पहले जमानत आदेश में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन होने के कारण, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

8. तदनुसार, आवेदक की जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।

26 मार्च, 2026

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राहुल।/-

(न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।